The Bridgespan Group

सारांश

भारत के दलित और आदिवासी समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास का पथ

रिति मोहापात्र, सौमित्र पांडेय, ऋषभ तोमर, चंदा जैन, जिज्ञासा खट्टर और रोजर थॉम्पसन द्वारा

संवैधानिक गारंटी, नेक नीयत वाली सरकारी नीतियों और एनजीओ (सामाजिक संस्थाओं) व फंडर्स (पूंजी प्रदाताओं) के अथक प्रयासों के बावजूद भी, सामाजिक गतिशीलता भारत के 30 करोड़ दलित और आदिवासी समुदायों के अधिकांश सदस्यों की पहुँच से बाहर रही है| अनेकों प्रमाण यह दर्शाते हैं कि हाशिये पर रहने वाले ये दोनों समूह ही अर्थव्यवस्था और सामाजिक गतिशीलता के सबसे निचले पायदान पर हैं| उनके लिए यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है|

दलित व्यक्ति को औपचारिक तौर पर अनुसूचित जाति का माना जाता है; और आदिवासी समुदाय, भारत की देशज जनसंख्या को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है| ये दोनों ही वर्ग अपना अधिकांश जीवन गरीबी में बिताते हैं: 10 में से 8 दलित और आदिवासी परिवारों में सबसे अधिक कमाने वाले सदस्य की मासिक आय औसतन 5,000 रुपये से कम होती है|

द ब्रिजेस्पेन ग्रुप फंडर्स और एनजीओ के लिए वो तरीके खोजना चाहता है, जिनसे दलित और आदिवासी समुदाय अपने आर्थिक और सामाजिक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकें| संक्षेप में, हमारा मकसद उन साधनों को खोजना है, जिनसे फंडर्स और एनजीओ, साथ मिलकर गतिशीलता में बढ़ावा दे सकें|

हमने 40 से अधिक ऐसे एनजीओ नेताओं, शिक्षकों और संस्थाओं से बातचीत की जो दलित और आदिवासी समुदायों के साथ काम करते हैं, और हमें एक ही जवाब बार बार मिला: इक्विटी-केन्द्रित दृष्टिकोण यानि इक्विटी (न्याय और समता) को केंद्र में रख कर ही ऐसी परिस्थितियां बनाई जा सकती हैं जिनसे इन समुदायों की सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिले| इक्विटी-केन्द्रित दृष्टिकोण का मतलब है कि दलित और आदिवासी समुदायों के इतिहास, आकांक्षा और जरूरतों को समझना, और इसका इस्तेमाल उस समय करना जब उनके कल्याण के गतिविधि की रूपरेखा बनाई जाये| इसका मतलब है कार्यक्रम के डिज़ाइन और अमल के दौरान समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, एवं उनको वह प्रशिक्षण और सहयोग प्रदान किया जाए जिससे वह अपने हित में फैसले ले सकें|

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर अमित थोराट ने कहा कि इक्विटी के यह मायने भी हैं कि हम इस सत्य का सामना करें के “असमानता का मूल कारण वह विश्वास प्रणाली है, जिसने व्यवस्थित रूप से धन, शिक्षा और विशेषाधिकारों को कुछ लोगों तक सीमित रखा, जबकि बाकियों को उससे वंचित रखा|" जिन

एनजीओ नेताओं से हमारी बातचीत हुई, वो भी इस विचार से सहमत हैं| उन्होंने भारत की ऐतिहासिक जाति और वर्ण आधारित असमानता को एक ऐसी जटिल सामाजिक समस्या माना, जिसके बारे में अधिकांश लोग बात नहीं करना चाहते|

फंडर्स द्वारा भारत में इक्विटी को एक मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने के प्रयास अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं| फिर भी, ज़मीन पर चल रहे कार्यक्रमों से हमने उन ज़रूरी कदमों को पहचाना है, जिनके माध्यम से बहुत से फंडर्स और एनजीओ इक्विटी को अपने काम का आधार बना सकते हैं| वे प्रयास तीन श्रेणियों में आते हैं: **एक व्यक्ति की अपने निर्णय लेने की शक्ति को मज़बूती देना और सामुदायिक नेताओं का विकास करना, उत्तम शिक्षा और उचित व्यावसायिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना और इक्विटी को अनुदान देने एवं कार्यक्रम के डिज़ाइन का केंद्रीय सिद्धान्त बनाना**| ये तीनों तरीके, अलग-अलग माध्यमों से दलित और आदिवासी समुदाय में आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता लाने का काम करेंगे|

अधिकांश फंडर्स इक्विटी के सिद्धांत से अनजान नहीं हैं। पिछले दो दशकों में, सामाजिक क्षेत्र में जेंडर इक्विटी (लैंगिक समता) एक व्यापक रूप से स्वीकृत प्राथमिकता के रूप में उभरा है| सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के हमारे विश्लेषण के आधार पर, भारत में काम कर रहे 62 सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से लगभग तीन-चौथाई संगठनों के कार्यक्रमों में जेंडर पर फोकस है। जिन एनजीओ नेताओं से हमने बात की उनमें से कई लोगों ने पाया के जेंडर पर फोकस के कारण असमानता के कई पहलुओं (जैसे लिंग, धर्म, जाति, इत्यादि) के एक साथ होने, और इसका समुदाय की प्रगति में कई गुना अधिक मुश्किलें प्रस्तुत करने के बारे में भी विचारविमर्श शुरू हुआ है | इसके परिणामस्वरूप कई बार सकारात्मक कदम उठाये गए हैं | उन नेताओं का मानना है कि अब दलित और आदिवासी समुदाय की सामाजिक और आर्थिक समता पर और ध्यान देने का समय आ गया है |

यद्यपि कुछ फंडर्स ने इस दिशा में कदम बढ़ायें हैं, लेकिन अधिकांश ने अब भी शुरुआत नहीं की है| आज भी, अधिकांश फंडर्स पारंपरिक रूप से उन्हीं कार्यक्रमों को अपना समर्थन देते हैं, जिनसे सामने वाले को तुरंत लाभ पहुंचे| इन कार्यक्रमों में सफलता भी मिलती है, लेकिन ये कार्यक्रम हाशिये पर ढकेले गए समुदायों की अनूठी जरूरतों की अनदेखी कर देते हैं| ऐसे कार्यक्रम प्रारूप इक्विटी को आधार बनाने में असफल रहते हैं। हमें आशा है कि हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी कि किसी भी सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने में इक्विटी कितनी महत्वपूर्ण है| जब ऐसा होगा, तो दलित और आदिवासी समुदाय के लिए सामाजिक गतिशीलता सहज हो जाएगी|